राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, जयपुर राजस्थान के समक्ष

याचिका सं. ....

<u>के मामले में</u>

मैसर्स जेएसडब्ल्यू एनर्जी (बाड़मेर) लिमिटेड (इससे पूर्व राजवेस्ट पावर लिमिटेड) के 1080 मेगावॉट (8 X 135 मेगावॉट) लिग्नाइट आधारित थर्मल विद्युत उत्पादन केन्द्र को वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए , कपूरड़ी एवं जालिपा खान से लिग्नाइट की आपूर्ति हेतु राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग विनियम, 2019 (इससे आगे ''टैरिफ विनियम'' के रूप में निर्दिष्ट) के विनियम 11(8) के अन्तर्गत लिग्नाइट की अन्तरण कीमत विनिर्धारण हेतु याचिका।

तथा

के मामले में

मै. बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कम्पनी लिमिटेड (बी.एल.एम.सी.एल.)
कार्यालय सं. 2 एवं 3, 7वीं मंजिल,मान उपासना प्लाजा,
सी–44, सरदार पटेल मार्ग, सी– स्कीम, जयपुर

<u>याचिकाकर्ता</u>

बनाम

1. **जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ (जेवीवीएनएल)**
   विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर।
2. **अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ (एवीवीएनएल)**
   ओल्ड पावर हाउस, हाथी भाटा, अजमेर।
3. **जोधुपर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ (जेडीवीवीएनएल)**
   न्यू पावर हाउस, इण्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर।
4. **मै. जेएसडब्ल्यू एनर्जी (बाड़मेर) लि. (इससे पूर्व राजवेस्ट पावर लि.)**
   कार्यालय सं. 2 एवं 3, 7वीं मंजिल, मान उपासना प्लाजा,
   सी–44, सरदार पटेल मार्ग, सी– स्कीम, जयपुर

<u>प्रतिवादी</u>

माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण,

1 याचिकाकर्ता मैसर्स बाड़मेर लिग्नाइट माईनिंग कम्पनी लिमिटेड (जिसको आगे ''बी.एल.एम.सी. एल.'' या याचिकाकर्ता के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) कम्पनीज अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निगमित एक सरकारी कम्पनी है, और इसे कपूरड़ी एवं जालिपा खानों का आवंटन किया गया है, जो केप्टिव आधार पर मैसर्स जेएसडब्ल्यू एनर्जी (बाड़मेर) लिमिटेड (इससे पूर्व राजवेस्ट पावर लिमिटेड. (जिसको आगे जेएसडब्ल्यूईबीएल के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) द्वारा राजस्थान के बाड़मेर जिले के भादरेश गॉव में स्थापित किये गये 1080 मेगावाट के लिग्नाइट तापीय विद्युत संयत्र को माननीय आयोग द्वारा विनिर्धारित किये जाने वाली कीमत पर लिग्नाइट की आपूर्ति की जानी है ।

2. नोटिसों के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता एवं प्रतिवादियों के पते वाद शीर्षक में यथोल्लिखित हैं।

3. याचिकाकर्ता नें 28.01.2011 को जालिपा एवं कपूरड़ी खानों से राज वेस्टपॉवर लिमिटेड़, बाड़मेर के लिग्नाइट तापीय विद्युत सयंत्र को वित्तिय वर्ष 2011–12 के लिए लिग्नाइट की आपूर्ति हेतु लिग्नाइट की अनतरण कीमत के निर्धारण हेतू याचिका (याचिका संख्या 245/11) दायर की थी। इस याचिका पर माननीय आयोग नें दिनांक 17.08.2011 को अन्तरिम आदेश पारित किया, जो अन्य बातों के साथ प्रावधान करता है कि :–

(i) 2006 के आदेश में दिये गये निर्देशानुसार आउट सोर्सिंग के लिए नयी बोली की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा।

(ii) आउट सोर्सिंग बोली की कार्यवाही केवल कपूरडी खान के लिए ही होगी क्योंकि याचिका में उल्लेख के अनुसार जलीपा खान वित्तीय वर्ष 2013–14 से पूर्व परिचालन में नहीं आ पायेगीः

(iii) ''................................ लिग्नाइट अन्तरण कीमत के विनिर्धारण हेतु कथित बोली कार्यवाही पूर्ण होने पर, एक अनुपूरक याचिका दायर किया जाना जरूरी होगा''य तथा

(iv) बी.एल.एम.सी.एल., आर.एस.एम.एम.एल. द्वारा संचालित लिग्नाइट खानों के आधार पर निरावृत अनुपात, खान की गहराई तथा अन्य सुसंगत प्राचलों में परिवर्तन के उचित समायोजन के साथ लिग्नाइट उत्खनन की लागत का परिकलन कर सकती है, और उसे आयोग को आऊटसोर्सिंग के पारदर्शी बोली आधारित लिग्नाइट की अन्तरण कीमत को अन्तिम रूप न दिये जाने तक, अन्तरिम अवधि के लिए लिग्नाइट की अन्तरण कीमत के परिकलन हेतु प्रस्तुत कर सकती है।

4. यह निवेदन है कि नवीन बोली प्रक्रिया शुरू करने के प्रयोजन से दिनांक 17.08.2011 के आदेश के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करने के लिए कि लिग्नाइट की खानों तथा खनन के विकास एवं लिग्नाइट की अन्तरण कीमत के विनिर्धारण सम्बन्धी मुद्दों के क्रियान्वयन में आगे और कोई विलम्बन हो, कतिपय स्पष्टीकरण अपेक्षित थे। इस प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता ने 25. 11.2011 को दिनांक 17.08.2011 के आदेश के स्पष्टीकरण हेतु एक याचिका दायर की।

माननीय आयोग ने दिनांक 05.01.2012 के आदेश से याचिकाकर्ता द्वारा दायर किये गये उपरोक्त आवेदन पर यह अवधारित करते हुये निर्णय दिया कि आवेदन के पैरा 9सी के अलावा कोई अन्य स्पष्टीकरण दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। आदेश दिनांक 05.01.2012 के तत्सम्बन्धित भाग सहज सन्दर्भ हेतु निम्नानुसार उल्लेखित है :—

''12 (II) ऊपर परिचर्चित स्थिति को ध्यान में रखते हुये पैरा 24(7) में कपूरड़ी खानों के लिए बोली प्रक्रिया शुरू किये जाने की प्रेक्षिति को, जालिपा खान की बोली प्रक्रिया के लिए जब कभी भी उपयुक्त या अपेक्षित माना जाये, कोई अवरोध या प्रतिबन्ध न समझा जाये। ''

5. इसके अतिरिक्त आदेश दिनांक 17.08.2011 में अन्तर्विष्ट निर्देशों के अनुसार याचिकाकर्ता ने कपूरड़ी खान से राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (आर.एस.एम.एम.एल.) की अपनी सोनारी लिग्नाइट खानों के प्रति कपूरड़ी खान के निरावृत अनुपात, खान की गहराई तथा अन्य सुसंगत प्राचलों, जिसके प्रांचल सोनारी खान से भिन्न है, के उचित समायोजन के साथ प्रस्तुत की गई निम्नतम बोली के बहिर्वेशन पर आधारित लिग्नाइट की उत्खनन कीमत परिकलित की है, और उसे आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस प्रस्तुतिकरण से पूर्व, याचिकाकर्ता के निर्देशक मण्डल (मण्डल) नें चाहा है कि कपूरड़ी लिग्नाइट खान से लिग्नाइट उत्खनन लागत का परिकलन इसके निर्देशन मण्डल द्वारा अनुमोदन तथा माननीय आयोग को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व, स्वतंत्र संवीक्षा के अध्यधीन हो। तदानुसार परिकलन की, श्री एन. एस. बोहरा (पूर्व निर्देशक, खान एवं भूगर्भ विभाग, राजस्थान सरकार) द्वारा संवीक्षा एवं परीक्षा की गई थी। मण्डल द्वारा दिनांक 3 सितम्बर 2011 को उस रिपोर्ट को स्वीकृत एवं अनुमादित किए जाने के पश्चात्, याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग को 6 सितम्बर 2011 को एक आवेदन, 30 वर्षीय संविदा अवधि (**1098.61 रू./मेट्रिक टन**) एवं 7 वर्षीय संविदा अवधि (**1198.93 रू./मेट्रिक टन**) दोनों पर आधारित अन्तरण कीमत परिकलित करते हुए प्रस्तुत किया।

याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिए लिग्नाइट की उपर्युक्त बहिर्वेशित निष्कर्षण लागत पर आधारित कपूरडी तथा जालीपा खानों से लिग्नाइट की अन्तरण कीमत विनिर्धारण करने के लिए दायर की गयी पिछली याचिका की विस्तृतियां नीचे दी गयी हैं:

क्र. सं.	**वर्ष**	**याचिका सं.**	**याचिका की तिथि**	**मानी गयी खनन क्षमता**	**मांगी गई अन्तरण कीमत (रू./मै. टन)**
1.	वित्तीय वर्ष 2023—24	2064 / 22	28.11.2022	7.10 मै.ट.प्र.व.	3173.47

6. ध्यान देने योग्य है कि दिनांक 05.01.2012 के आदेश (दिनांक 17.08.2011 के सम्बन्ध में याचिकाकर्ता द्वारा दायर किये गये स्पष्टीकरण आवेदन पर माननीय इस आयोग द्वारा पारित) जिसे दिनांक 17.08.2011 के साथ पढ़ा जाये, से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने माननीय

विद्युत अपील न्यायाधिकरण के समक्ष एक याचिका (2012 की 76 सं. वाली) 16.02.2012 को दायर की। माननीय विद्युत अपील न्यायाधिकरण ने दिनांक 08.04.2013 के अपने आदेश से अपील को अस्वीकृत कर दिया और माननीय आयोग के उक्त आदेश की परिपुष्टि की। माननीय विद्युत अपील न्यायाधिकरण के उक्त आदेश की समीक्षा व स्पष्टीकरण चाहते हुये याचिकाकर्ता ने माननीय विद्युत अपील न्यायाधिकरण के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की। माननीय विद्युत अपील न्यायाधिकरण ने समीक्षा एवं स्पष्टीकरण याचिका पर 28.05. 2013 को एक आदेश पारित किया।

7. दिनांक 28.05.2013 के आदेश के साथ पठित दिनांक 08.04.2013 के माननीय न्यायाधिकरण के आदेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक द्वितीय अपील (सिविल अपील संख्या 8110–8111/2013) दायर की गयी थी। वर्तमान में कथित अपील को स्वीकार कर लिया गया है तथा अधिनिर्णय हेतु लम्बित है।

8. चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई अन्तरिम आदेश पारित नहीं किया, याचिकाकर्ता, इस माननीय आयोग तथा माननीय न्यायाधिकरण के आदेश की अनुपालना में खान विकासक सह प्रचालक के चयन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के लिए अग्रसर हुआ।

9. 24.11.2015 को ईआईएल ने एम.डी.ओ. का कार्य मै. दुर्गा कन्सट्रक्शन कम्पनी एवं मै. जय प्रकाश एसोसिएटस् लिमिटेड के संघ को 1552/– रूपये प्रति मै. टन (सेवा कर, शिक्षा उपकर तथा राज शुल्क रहित) तथा निविदा प्रलेखों में विहित बढ़ोतरी सूत्रानुसार यथा–प्रयोज्य बढ़ोतरी पर दिये जाने की अनुशंसा की। ईआईएल की उपरोक्त अनुशंसा पर आधारित तथा माननीय आयोग के दिनांक 31.10.2014 के आदेश तथा दिनांक 06.05.2015 के माननीय न्यायाधिकरण के आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार याचिकाकर्ता ने दिनांक 11.12.2015 को आयोग के समक्ष (याचिका सं. 245/11 में आईए सं. 6) एक आवेदन, कपूरड़ी तथा जालिपा खानों से लिग्नाइट के निष्कर्षण का कार्य खान विकासक सह प्रचालक (एमडीओ) के चयन हेतु सम्पादित की गयी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के अनुसरण में ईआईएल द्वारा (उन पर निविदा प्रलेखों में यथा विहित बढ़ोतरी के साथ सेवा कर, शिक्षा उपकर तथा राज शुल्क रहित) यथानुशंसित 1552/– रूपये प्रति मै. टन की निम्नतर बोलीदाता मै. दुर्गा कन्सट्रक्शन कम्पनी एवं मै. जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के संघ को दिये जाने के अनुमोदन हेतु दायर किया था।

10. इस आवेदन (याचिका सं. 245/11 में आईए सं. 6) का अधिनिर्णय लम्बित रहने पर माननीय आयोग ने 21.01.2016 को हुयी सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए निम्नतम बोली दाता द्वारा उद्धृत एम.डी.ओ./निष्कर्षण कीमत पर आधारित अन्तरण कीमत के लिए याचिका दायर करे।

11. तदानुसार, याचिकाकर्ता ने वित्त वर्ष 2016–17 में लिग्नाईट के अन्तरण मूल्य के निर्धारण हेतु याचिका संख्या 593/2016 01.02.2016 को दाखिल की, जिसमें एमडीओ शुल्क 1552 रूपये प्रति मैट्रिक टन (कर, लेवीज, सेस और ड्युटीज इत्यादि अतिरिक्त जो निविदा दस्तावेज में

निर्धारित थी) माना गया था, जैसा कि ईआईएल द्वारा आईसीबी संचालित माईन डवलपर कम ऑपरेटर (एमडीओ) का चुनाव अभिशंसित था। इसी प्रकार वित्त वर्ष 2017–18 में लिग्नाइट के अन्तरण मूल्य के निर्धारण हेतु याचिका संख्या (966/16) दाखिल की गई, जिसमें एमडीओ शुल्क 1552 रूपये प्रति मेट्रिक टन (टैक्स, लेवीज, सेस और ड्युटीज इत्यादि, अतिरिक्त जैसा कि निविदा दस्तावेज में निर्धारित थी), माना गया था।

12. यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस माननीय आयोग ने आईए.सं. 6 (याचिका सं. 245/11 में) में पारित दिनांक 29.06.2016 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को कपूरड़ी तथा जालिपा खानों से लिग्नाइट के निष्कर्षण का कार्य , एम.डी.ओ. के चयन हेतु ईआईएल द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के अनुसार निम्नतम बोलीदाता को 1552/– रू. प्रति मै. टन (कर, राज शुल्क आदि रहित) की कीमत पर दिये जाने की अनुमति चाहते हुये आवेदन, याचिका सं. 593/16 (वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए अन्तरण कीमत विनिर्धारण हेतु दायर) में दायर करने के निर्देश दिये। यह प्रार्थना पत्र (आई ए–2 याचिका संख्या 593/2016) माननीय आयोग द्वारा दिनांक 06.04.2017 को निर्णित किया गया, एवम् माननीय आयोग ने एम.डी.ओ. के चुनाव हेतु आईसीबी के निष्कर्ष को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद 04.12.2017 को याचिकाकर्ता और प्रतिवादी डिस्कॉम के संयुक्त आवेदन पर, एनटीपीसी को निष्कर्षण लागत के लिए एक और बोली आमंत्रित करने के लिए नियुक्त किया गया था।

13. इसके अतिरिक्त जालीपा खान के 01.11.2017 को कमीशन होने की प्रत्याशा के साथ याचिकाकर्ता ने 27.10.2017 को वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए संशोधित अन्तरण कीमत याचिका दायर कर दी है। इस आवेदन (याचिका सं. 966/2016 आईए सं. 9) पर माननीय इस आयोग द्वारा 05.04.2018 को निर्णय लिया जा चुका है और माननीय इस आयोग ने जलीपा खानों के लिए वही अन्तरण कीमत अनुज्ञात की है, जो दिनांक 27.04.2017 के आदेश द्वारा कपूरडी खानों के लिए अनुज्ञात की गयी थी।

14. माननीय इस आयोग द्वारा पारित दिनांक 05.04.2018 के आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने 21.05.2018 को माननीय विद्युत के अपीलेट न्यायाधिकरण के समक्ष एक अपील (2018 की अपील सं. 138 के साथ ही अन्तरिम राहत चाहने की 2018 की अपील सं. 138 में आईए सं. 645) दायर कर दी। माननीय विद्युत अपीलेट न्यायाधिकरण ने दिनांक 05.12.2018 के अपने अन्तरिम आदेश द्वारा वर्ष 2017–18 में आवेदक द्वारा प्रस्तावित लागत के 85 प्रतिशत पर लिग्नाइट की अन्तरण कीमत की वसूली अनुमत करने की कृपा की है।

15. तद्नुसार, माननीय आयोग ने, माननीय एपटेल के 2018 की अपील सं. 138 में 2018 की आई. ए. सं. 645 में दिनांक 05.12.2018 के पारित आदेश की अनुपालना में 24.06.2019 का परिणामी आदेश लिग्नाइट की अन्तरिम अन्तरण कीमत 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत किये जाने को पारित किया।

16. इसी प्रकार याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए लिग्नाइट की अन्तरण कीमत विनिर्धारण हेतु याचिका 27.11.2017 को दायर कर दी है। माननीय इस आयोग ने दिनांक

10.05.2018 के आदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए दावित मूलभूत लिग्नाइट अन्तरण कीमत की 70 प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कपूरडी तथा जलीपा खानों के लिए अन्तरिम अन्तरण कीमत अनुज्ञात की है।

17. माननीय इस आयोग द्वारा पारित दिनांक 10.05.2018 के आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने माननीय विद्युत के अपीलेट न्यायाधिकरण के समक्ष एक अपील (2018 की 137 के साथ ही 2018 की अपील सं. 137 में आईए सं. 643 अन्तरिम राहत चाहने के लिए) 21.05.2018 को दायर की। माननीय विद्युत के अपीलेट न्यायाधिकरण ने 08.08.2018 के अपने अन्तरिम आदेश से वित्तीय वर्ष 2018–19 में लिग्नाइट की अन्तरिम अन्तरण कीमत की वसूली 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत किये जाने की कृपा की।

18. तद्नुसार, माननीय आयोग ने, माननीय एपटेल के 2018 की अपील सं. 137 में 2018 की आईएसं. 643 में दिनांक 08.08.2018 के पारित आदेश की अनुपालना में 26.09.2018 का परिणामी आदेश लिग्नाइट की अन्तरिम अन्तरण कीमत 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत किये जाने को पारित किया।

19. यहां यह उल्लेख किया जाना प्रासंगिक होगा कि नियन्त्रणावधि 2019–2024 के लिए माननीय आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019 के समाप्त होने तक टैरिफ विनियम अधिसूचित नहीं किये गये है, इस प्रकार, याचिकाकर्ता के पास 31.03.2019 के बाद के लिए विपत्रण के प्रयोजनार्थ कोई प्रभावी अन्तरण कीमत (अन्तरिम या अन्यथा) उपलब्ध नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता ने अन्तरिम टैरिफ (माननीय आयोग द्वारा दिनांक 26.09.2018 के अपने आदेश द्वारा यथा–विनिर्धारित) को अन्तरिम आधार पर वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अभिवृद्धि हेतु एक आवेदन दिनांक 05.04.2019 दायर किया था।

20. इस आवेदन पर माननीय आयोग द्वारा 30.04.2019 को सुनवाई की गयी और आदेश सुरक्षित रखा गया। हालांकि, इस माननीय आयोग द्वारा अपने आदेश दिनांक 01.05.2019 के द्वारा जे.एस.डब्ल्यू.ई.बी.एल. को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए समान टैरिफ बढ़ा दिया जो उसके आदेश 26.09.2018 में दिया गया था। इस प्रकार, लिग्नाइट के तदर्थ हस्तांतरण मूल्य के संबंध में आज भी यथास्थिति बनी हुई है।

21. आगे, माननीय आयोग ने अगली नियन्त्रणावधि वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए आर.ई.आर.सी. (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्ते) विनियम, 2019, 10.05.2019 प्रकाशित किये हैं और 27.05.2019 को शासकीय गजट में अधिसूचित कर दिये हैं।

22. उपर्युक्त के आधार पर याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अन्तरण कीमत निर्धारण के लिए याचिका संख्या 1510/2019 दिनांक 19.06.2019 माननीय आयोग के समक्ष दायर की, जो याचिका मान ली गयी है ओर अधिनिर्णय हेतु लंबित है।

23. याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए लिग्नाइट के हस्तान्तरण मूल्य के निर्धारण के लिए याचिका संख्या 1584/2019 दिनांक 26.11.2019 को माननीय आयोग के समक्ष दायर की, जो याचिका मान ली गयी है और अधिनिर्णय हेतु लंबित है।

24. याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लिग्नाइट के हस्तान्तरण मूल्य के निर्धारण के लिए याचिका संख्या 1846/2020 दिनांक 26.11.2020 को माननीय आयोग के समक्ष दायर की, जो याचिका मान ली गयी है और अधिनिर्णय हेतु लंबित है।

25 याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए लिग्नाइट के हस्तान्तरण मूल्य के निर्धारण के लिए याचिका संख्या 1965/2021 दिनांक 29.11.2021 को माननीय आयोग के समक्ष दायर की, जो याचिका स्वीकार कर ली गयी है और अधिनिर्णय हेतु लंबित है।

26. इसके बाद्, याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए लिग्नाइट के हस्तान्तरण मूल्य के निर्धारण के लिए याचिका संख्या 2064/2022 दिनांक 28.11.2022 को माननीय आयोग के समक्ष दायर की, जो याचिका स्वीकार कर ली गयी है और अधिनिर्णय हेतु लंबित है।

27. यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इस माननीय आयोग के निर्देशों के अनुसार और प्रतिवादी सं. 1 से 3 के परामर्श से तथा प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा बोली लगाने की शर्तों पर असमान समझौता के अनुसार, एनटीपीसी ने प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया का तीसरा दौर पूरा कर लिया है और अपनी सिफारिश को अपने पत्र दिनांक 19.12.2019 के माध्यम से प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार एवं इस माननीय आयोग का संप्रेषित की। उक्त संचार की प्रति 26.12.2019 की सुनवाई के दौरान पक्षों को सौंपी गई।

28. यह कि एनटीपीसी की सिफारिश, सदा, यह दर्शाती है कि निम्नलिखित पक्ष तकनीकी एवं व्यावसायिक रूप से योग्य पाए गए–

i) मैसर्स त्रिवेणी–पीसीपटेल कंसोर्टिसम (त्रिवेणी–पीसीपटेल)
ii) मैसर्स सैनिक माइनिंग एंड एलाइट सर्विसेज लिमिटेड (सैनिक)
iii) मैसर्स महालक्ष्मी इन्फ्राकंट्रैक्ट लिमिटेड (महालक्ष्मी)
iv) मैसर्स साउथ वेस्ट माइनिंग लिमिटेड (एस डब्ल्यू माइनिंग)
v) मैसर्स अम्बे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड (अम्बे)

29. जालिपा लिग्नाइट खान के लिए एमडीओ खनन शुल्क **रू.1475.43/टन** एवं कपूरड़ी लिग्नाइट खान के लिए रू. **1400.17/टन** माध्य लागत एनटीपीसी के लागत इंजीनियरिंग विभाग अनुमानित की गयी।

30. रिवर्स नीलामी जो एल 1 बोलीदाता के मूल्यांकन मूल्य पर शुरू हुई। रिवर्स नीलामी प्रक्रिया 85 बार तक जारी रही, और निष्कर्ष स्वरूप मैसर्स साउथ वेस्ट माइनिंग लि. सबसे कम

बोलीदाता के रूप में उभरा। साउथ वेस्ट माइनिंग लि. द्वारा कपूरड़ी एवं जालिपा खानों के लिए उद्धृत अंतिम दर **रू.1131.428571428/टन** है। तदनुसार, एनटीपीसी मैसर्स साउथ वेस्ट माइनिंग लि. को जालिपा एवं कपूरड़ी ब्लॉक्स के विकास एवं संचालन के लिए **रू. 1131.428571428/टन** पर अवार्ड देने की सिफारिश की है।

यह उल्लेख किया गया है कि खनन शुल्क के अन्तर्गत सभी कर, ड्यूटीज, शुल्क एवं खान संचालक पर शुल्क, इसके उप–ठेकेदारों या उनके कर्मचारियों पर आथोरिटिज द्वारा लगाये गये शुल्क शामिल हैं। हालांकि, जीएसटी जो कि खान संचालक एवं मालिक के बीच लेन–देन पर लागू होता है, मालिक (अर्थात् बी.एल.एम.सी.एल.) द्वारा देय है। इसके अलावा, रॉयल्टी शुल्क और/या अन्य कोई कर/ड्यूटीज/लेवी/उपकर, जो लिग्नाइट के निष्कर्षण और वितरण के लिए आकस्मिक है, मालिक (अर्थात् बी.एल.एम.सी.एल.) द्वारा वहन किया जायेगा एवं परियोजना अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार संबंधित अधिकारियों को सीधे भुगतान किया जायेगा।

अनुबंध के निष्पादन के दौरान, यदि खनन शुल्क पर कोई नया कर या ड्यूटीज लगाई जाती है तो परियोजना अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार खान संचालक को, दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराने बाद, इसकी प्रतिपूर्ति की जायेगी। उपरोक्त खनन शुल्क परियोजना अनुबन्ध की अनुसूची–11 में निर्धारित सूत्रों के अनुसार वृद्धि के अधीन देय होगा।

31. वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के परामर्श से तथा प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा बोली लगाने की शर्तों पर असमान समझौता के अनुसार, एनटीपीसी द्वारा की गई बोली प्रक्रिया के परिणाम की स्वीकृती इस माननीय आयोग के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है।

32. माननीय आयोग के आदेश दिनांक 26.03.2021 द्वारा पूर्व–खाली शर्तों में यह निर्णय लिया कि यदि मामला ख्क्या खनन पट्टों को राजस्थान सरकार (जीओआर) द्वारा याचिकाकर्ता को केन्द्र सरकार (जीओआई) के पूर्व अनुमोदन से हस्तांतरित किया गया था या नहीं, याचिकाकर्ता और जीओआर द्वारा दो महीनों की अवधि के भीतर हल नहीं होता है, यह लिग्नाइट के हस्तांतरण मूल्य या कपूरड़ी एवं जालिपा लिग्नाइट खनन सह विद्युत उत्पादन परियोजना के लिए टैरिफ का निर्धाण नहीं करेगा।

33. दिनांक 26.03.2021 के आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने एक याचिका (2021 की अपील सं. 152 आई. ए. संख्या 634 एवं 635 के साथ अंतरिम राहत की मांग) माननीय विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष 06.04.2021 को दायर की। माननीय विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 12.04.2021 के द्वारा आर.ई.आर.सी. के आदेश दिनांक 26.03.2021 के विरूद्ध स्थगन प्रदान करने की कृपा की है और कहा है कि जब तक लिग्नाइट की आपूर्ति की जा रही है, बिजली का उत्पादन जारी है जो राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम्स को आपूर्ति की जाती है, एडहॉक टैरिफ जारी रहेगा।

34. कि याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करता है कि केन्द्र सरकार ने अपने आदेशों 13.07.2022 द्वारा दिनांक 18.05.2016 के अधिक्रमण में आरएसएमएमएल से बीएलएमसीएल के पक्ष में कपूरड़ी एवं जालिपा लिग्नाइट खानों के खनन पट्टों के हस्तांतरण की पुष्टि की है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता सम्मानजनक निवेदन करता है कि, खनन पट्टों की वैधता का मुद्दा अब हल हो चुका है। तद्नुसार, बीएलएमसीएल ने इस माननीय आयोग के समक्ष दिनांक 26.07.2022 के आवेदन के माध्यम से दिनांक 13.07.2022 के केन्द्र सरकार के आदेश प्रस्तुत किये हैं और माननीय आयोग से अनुरोध किया है कि लिग्नाइट के हस्तांतरण मूल्य के निर्धारण के लिये याचिकाओं को अतिशीघ्र लें एवं हस्तांतरण मूल्य तय करें।

35. कि उसके बाद खान विभाग, राजस्थान सरकार ने अपने पत्र दिनांक 27.07.2022 द्वारा केन्द्र सरकार के आदेश दिनांक 13.07.2022 पर अमल करते हुए अपने पूर्व आदेश दिनांक 04.04.2022 एवं 28.04.2022 को भी वापस ले लिया है। उपरोक्त सभी पत्रों की प्रतियाँ बीएलएमसीएल द्वारा इस माननीय आयोग के समक्ष 10.08.2022 को प्रस्तुत की गई हैं।

36. इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 10.10.2022 को इस माननीय आयोग के समक्ष एक अंतवर्ती आवेदन ("आईए") दायर किया जिसमें याचिका संख्या 608 एवं 609/2016, 2016 की 593, 2016 की 966, 2017 की 1285, 2019 की 1510, 2019 की 1473 एवं 1474, 2019 की 1584, 2020 की 1846 और 2021 की 1965 को एक साथ एक बैच में सूचीबद्ध करने और सुनने का अनुरोध किया ।

37. इसके अलावा, यह अनुरोध किया गया है कि याचिकाकर्ता ने वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2022–23 के लिये क्रमशः कपूरड़ी एवं जालिपा खानों से लिग्नाइट के हस्तांतरण मूल्य के निर्धारण के लिय माननीय आयोग के समक्ष याचिकाये संख्या 2019 की 1510, 1584/2019, 1846/2020 एवं 2021 की 1965 दायर की थी। हालांकि, उपरोक्त याचिकाओं पर माननीय आयोग ने अपील संख्या 137/2018 (अपील सं. 137 में आदेश) में माननीय एपटेल द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2020 की शर्तों के अनुसार लिग्नाइट के अंतरिम हस्तांतरण मूल्य की वसूली की अनुमति देने वाली उपरोक्त याचिकाओं में कोई भी आदेश पारित नहीं किया है ।

38. अपील संख्या 137 में आदेश के क्रियान्वित नहीं होने से कम वसूली से पीड़ित होकर याचिकाकर्ता ने निष्पादन याचिका संख्या 02/2022 के माध्यम से माननीय विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपटेल) से संपर्क किया। यह प्रार्थना की गई कि अपील संख्या 137 कें आदेश का निष्पादन किया जाये और उत्तरदाताओं को वित्त वर्ष 2019–20 से 2022–23 याचिकाकृत मूल्य के 85% की दर लिग्नाइट के तदर्थ अंतरिम हस्तांतरण मूल्य का भुगतान रॉयल्टी, करों एवं शुल्कों से पहले प्लस वास्तविक कर, करने का निर्देश दिया जाये।

39. माननीय एपटेल ने अपने आदेश दिनांक 07.10.2022 में डिस्कॉम्स से वकील के वचन को निम्नलिखित शब्दों में दर्ज किया है:

"11. कुछ सुनवाई के बाद, वितरण लाइसेंसधारियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि उनके पास यह बताने के निर्देश हैं कि वितरण लाइसेंसधारी आदेश दिनांक 05.02.2020 के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हैं एवं साथ ही साथ लिग्नाइट की अंतरिम हस्तांतरण लागत के 85% की सीमा तक वित्त वर्ष 2018–19 के बाद राज्य आयोग द्वारा (आर.ई.आर. सी.) अंतिम निर्धारण किये जाने तक दायित्व लेते हैं, हालांकि बिना किसी पूर्वाग्रह के और इस तरह के अंतिम निर्धारण के खिलाफ कानून में समाधान के अधीन और धन वापसी या समायोजन का अधिकार आरक्षित रखते हैं यदि आयोग द्वारा अंतिम निर्धारण के फलस्वरूप हस्तांतरण मूल्य में कमी आती है जो कि अंतःक्रियात्मक व्यवस्था द्वारा निर्धारित है" ।

40. इसके बाद, माननीय एपटेल ने निम्नानुसार निर्देशित किया हैः

"12. हम वितरण लाइसेंसधारियों को इन कार्यवाहियों में विद्वान अधिवक्ता द्वारा उनकी ओर से उपरोक्त प्रभाव के लिए प्रस्तुत वचनबद्धता के साथ बाध्य करते है। इस आदेश में आवश्यक अनुपालना चार सत्पाह के भीतर की जायेगी। लाइसेंसधारी सुनवाई की अगली तारीख से पहले सहायक प्रमाण के साथ प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी के प्रबंध निदेशकों के हलफनामों द्वारा अनुपालना को प्रमाणित करेंगे" ।

25.11.2022 को सूचीबद्ध हो।

41. 25.11.2022 को माननीय एपटेल ने डिस्कॉम द्वारा किए गए भुगतान के अनुपालन की रिकॉर्डिंग और अंडरटेकिंग देने के बाद निष्पादन याचिका का निपटारा किया।

42. इसके बाद, डिस्कॉम ने माननीय एपटेल के आदेश दिनांक 07.10.2022 और 25.11.2022 के खिलाफ समीक्षा याचिका (2023 की आरपी 20) दायर की है और इसे माननीय न्यायाधिकरण ने दिनांक 10.10.2023 के आदेश के द्वारा खारिज कर दिया है। इस प्रकार माननीय एपटेल का आदेश और प्रतिवादी डिस्कॉम के अंडरटेकिंग के बाद कि तदर्थ अंतरिम हस्तांतरण मूल्य अंतिम निर्धारण तक, याचिका की लागत का 85 प्रतिशत होगा, अंतिम रूप ले चुका है, (माननीय प्राधिकरण के आदेश दिनांक 10.10.2023 की प्रति परिशिष्ट 22 में संलग्न है)।

43. इसके अलावा, माननीय आयोग ने दिनांक 24.01.2023 के ओदश के द्वारा याचिका संख्याा 608–609 / में आईए संख्या 1 में समेकन के लिये याचिकाकर्ता के द्वारा दायर याचिका का निस्तारण इस आधार पर कर दिया कि आयोग इस स्तर पर याचिकाओं को जोड़ने के इच्छुक नहीं है। हालांकि, आयोग उस समय मामले की प्रकृति और आवश्यकता के आधार पर विभिन्न याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर सकता है। मामले के आगे बढ़ने पर आयोग उचित निर्णय लेगा।

44. यह कि दिनांक 07.02.2023 को डिस्कॉम ने याचिका संख्याा 608–609 / 2026 में आईए संख्या 1 दायर किया है, जिसमें लिग्नाइट के प्रयोगशाला आंकड़े प्राप्त करने के लिए दिशा–निर्देश मांगे गये हैं और एमडीओ (एसडब्ल्यूएमएल) द्वारा किये गये खनन खर्चों के

अलावा याचिकाकर्ता द्वारा एमडीओ को खनन खर्चो के लिए किए गए वास्तविक भुगतान के बारे में जानकारी मांगी गई है।

45. 13.02.2023 को याचिकाकर्ता ने याचिका संख्याा 608–609/2026 में आईए संख्या 2 दायर किया है, जिसमें याचिका संख्या 608/2016 एवं 609/2016 में लिग्नाइट के अंतिम हस्तांतरण मूल्य के निर्धारण का नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की पुष्टि की मांग की गई है।

46. माननीय आयोग ने दोनों पक्षों और सभी हितधारकों को सुनने के बादर निम्नलिखित निम्नलिखित निर्देशों के साथ दिनांक 21.04.2023 को आदेश पारित कियाः

10.13 आयोग का मानना है कि लागू टैरिफ नियम 2009 और 2014 के अनुसार, हस्तांतरण मूल्य के निर्धारण के लिए याचिका में अनुमोदित खनन योजना और अन्य अपेक्षित जानकारी के साथ परियोजना की मुख्य विशेषतायें शामिल होंगी जैसे कि वार्षिक खनन क्षमता, खदान रिजर्व, ईंधन की उपलब्धता की अवधि, वाशिंग/लाभकारी योजना, वित्तीय पैकेज, प्रदर्शन पैरामीटरर्स, संदर्भ मूल्य स्तर, प्रारंभिक लागत का परिशोधन आदि। यह एक स्थापित तथ्य है कि दूसरों के अलावा जीसीवी भी एक महत्वपूर्ण "परफॉरमेंस पैरामीटर" है। साथ ही सूचना/पैरामीटरर्स की सूची संपूर्ण नहीं है। इसके अलावा, माननीय एपटेल ने अपील संख्या 430/2022 में आईएं नंत्र 1961/2022 में अपने आदेश दिनांक 02.12.2022 में यह भी ध्यान दिया कि आयोग के पास ऐसी अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज या सामग्री के मांग करने की सभी शक्तियाँ हैं जो कि याचिका पर विचार करने के लिए आवश्यक समझी जाती हैं। खान स्थल पर प्रयोगशाला द्वारा प्रतिदिन वास्तविक जीसीवी के आंकड़े दर्ज किये जाते है। आयोग का विचार है कि बीएलएमसीएल, प्रयोगशाला द्वारा सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी में दर्ज किए गए हर दिन के आंकड़ों के आधार वास्तविक जीसीवी के आंकड़ों का मासिक औसत इस आदेश की तारीख से दो सप्ताह के भीतर पर प्रस्तुत करेगा। ये विवरण आरंभ (2011–12) से 31.03.2023 तक एक पखवाड़े की भीतर प्रस्तुत किया जाना होगा।

10.16 आयोग ने याचिकाकर्ता द्वारा 13.12.2016 को दायर किय गये हलफनामें का अध्ययन किया है। भविष्य में की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के ध्यान में रखते हुए, आयोग ने याचिकाकर्ता बीएलएमसीएल को एक पखवाड़े के भीतर शुरूआत से लेकर 31.03.2023 तक एमडीओ (एसडब्ल्यूएमएल) को किए गए मासिक भुगतान (मय दस्तावेजी साक्ष्य) का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

10.19 इस संबंध में, आयोग याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार नहीं करता है कि उसके पास एमडीओ द्वारा किए गए मासिक खर्चों को प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है। आयोग का मानना है कि एमडीओ (एसडब्ल्यूएमएल) याचिकाकर्ता बीएलएमसीएल द्वारा नामित किया गया था। यह याचिकाकर्ता की जिम्मेदारी हैं कि वह एमडीओ को भुगतान करने से पहले एमडीओ द्वारा जारी किए गए चालानों के विवेकपूर्ण जांच करे। इसके अलावा, विवेकपूर्ण जांच में सहायक दस्तावेजों एवं चालान राशि का विभाजन आवश्यक है। इसे देखते हुए, उपभोक्ताओं

के व्यापक हितों को देखते हुए, आयोग का विचार सुविचारित है कि एमडीओ द्वारा याचिकाकर्ता को दिये गए चालानों की विवेकपूर्ण जांच आवश्यक है। आयोग याचिकाकर्ता (बीएलएमसीएल) को विवेकपूर्ण जांच के लिए एमडीओ से मासिक खनन व्यय के संबंध में प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने एवं दो सप्ताह के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने के निर्देश देता है। यह जानकारी एवं मासिक खनन व्यय का विवरण इस परियोजना के प्रारंभ से 31.03.2023 तक एक पखवाड़े के भीतर प्रस्तुत किया जाये।

10.22 आयोग को प्रतिवादी डिस्कॉम की दलीलों मे दम नजर आता है। आयोग प्रतिवादी डिस्कॉम के इस तर्क से सहमत है कि यह किसी भी अदालत या आयोग का विशेषाधिकार है कि वह कानून के तहत क्या कार्रवाई अपनाता है। आयोग का मानना है कि इस स्तर पर कार्रवाई की कोई भी घोषणा/स्पष्टीकरण अंतिम कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसे देखते हुए, आयोग का विचार है कि इस स्तर पर लिग्नाइट हस्तांतरण मूल्य निर्धारित करने के लिए आयोग द्वारा अपनाए जाने वाले सिद्धांतों की कोई पुष्टि न तो आवश्यक है और न ही जरूरी है।

47. याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग के उक्त आदेश से व्यथित होकर माननीय न्यायाधिकरण में याचिका सं. 454/2023 दिनांक 05.05.2023 को मय स्थगन आवेदन दायर की। माननीय न्यायाधिकरण ने 16.05.2023 को सुनवाई की एवं निम्न आदेश पारित किया:

"हालांक इन प्रस्तुतियों को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि यदि आयोग कोई ऐसा आदेश पारित करता है जिससे अपीलार्थी व्यथित होने का दावा करते हुए बाद में भी इन शिका यतों का उठा सकता है। इस अपील में नोटिस का आदेश देते समय यह स्पष्ट करना पर्याप्त है कि हमने अपीलकर्ता की ओर से आग्रह की गई दलीलों के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है, न ही इस आदेश को आयोग को कार्यवाही को आगे बढ़ाने एवं मामले पर निर्णय लेने से अक्षम करने वाला माना जाये। यह बताने की आवश्यकता कि कोई भी आदेश जिसे आयोग योग्यता के आधार पर पारित कर सकता है, आईए नंबर 919/2023 (अंतरिम राहत) के परिणाम के अधीन रहेगा।"

48. माननीय न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता नें दिनांक 19.05.2023 के माध्यम से प्रयोगशाला द्वारा 2011–.2012 से 31.03.2023 तक दर्ज किए गए प्रतिदिन के आंकड़ों के आधार पर वास्तविक जीसीवी आंकड़ों के मासिक औसत का विवरण प्रस्तुत किया है एवं याचिकाकर्ता द्वारा एमडीओ (एसडब्ल्यूएमएल) को किए गए मासिक भुगतान (मय दस्तावेजी साक्ष्य) का विवरण माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, एसडब्ल्यूएमएल द्वारा किए गए मासिक खनन खर्चों के विवरण के संबंध में याचिका में कहा गया है कि इस माननीय आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी एकत्र करने एवं प्राप्त करने के लिये याचिकाकर्ता ने एसडब्ल्यूएमएल के साथ दिनांक 25.04.2023 को एक लिखित संचार किया था। हालांकि दिनांक 25.04.2023 के पत्र के जवाब में, 01.05.2023 को एसडब्ल्यूएमएल ने मांगी गई जानकारी देने से मना कर दिया।

49. माननीय आयोग के आदेश दिनांक 23.05.2023 के निर्देशों की अनुपालना के संबंध में याचिका प्रस्तुत करने पर ध्यान दिया गया और एसडब्ल्यूएमएल को अधिकृत प्रतिनिधि/व्यक्ति के माधम से परियोजना की शुरूआत से 31.03.2023 तक मासिक खनन व्यय के विवरण वाले दस्तावेज प्रदान करने के लिए बुलाया गया। अधिकृत प्रतिनिधि को 30.05.2023 का जानकारी प्रदान करने के लिए माननीया आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का भी निर्देश दिया गया था।

50. माननीय आयोग ने 06.06.2023 को एसडब्ल्यूएमएल के वकील का बयान दर्ज किया था कि प्रतिवादी आयोग द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के समक्ष याचिका दायर की गई है और उसके बाद अंतिम अवसर के रूप में एसडब्ल्यूएमएल को अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया।

51. एसडब्ल्यूएमएल की उपरोक्त एसवी सिविल रिट याचिका संख्या 8291/2023 को जोधपुर उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक31.08.2023 द्वारा खारिज कर दिया है।

52. एसडब्ल्यूएमएल ने जोधपुर उच्च न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर डी बी स्पेशल अपील रिट अपील सं. 742/2023 माननीय जोधपुर उच्च न्यायालय में दायर की। उक्त रिट याचिका मान ली गयी है और अधिनिर्णय हेतु लंबित है। रिट याचिका की सुनवाई एवं निस्तारण के लंबित रहने तक यह माननीय आयोग, माननीय उच्च न्यायालय के सम्मनान में अंतिम हस्तांतरण मूल्य निर्धारण के मामले में आगे नहीं बढ़ा है।

53 यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रांरम्भ में माननीय आयोग ने वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2023–24 तक की नियंत्रण अवधि के लिए आरईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 तैयार किया है। इसके बाद, माननीय आयोग ने दिनांक 21.09.20236 के माध्यम से आरईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 में कुछ संशोधन किया है और इस इसे आरईआरसी (टैरिफ के निर्धारण के नियम और शर्तों) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023 कहा गया है। इस विनियम के अनुसार माननीय आयोग ने सभी हितधारकों को सुनने और उनके सुझावों पर विचार करने के बाद आरईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 की प्रयोज्यता को एक वर्ष की अवधि के लिए, यानि 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया है।

54. टैरिफ विनियमों, 2019 के विनियम 6 के अनुसार, याचिकाकर्ता को वार्षिक राजस्व आश्यकता (एआरआर) की मंजूरी के लिए और आगामी वर्ष (वित्तीय वर्ष 2024–25) के लिए अंतरण कीमत के निर्धारण करने हेतु अंतरण कीमत याचिका वर्तमान वर्ष में 30 नवम्बर (वित्तीय वर्ष 2023–24) तक दायर करना अनिवार्य है।

55. जेएसडब्ल्यू एनर्जी (बाड़मेर) लिमिटेड (पूर्व में राज वेस्टपॉवर लिमिटेड) को लिग्नाइट की निरंतर आपूर्ति, राजस्थान राज्य को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए तापीय घर के सुचारू

और निरंतर संचालन के दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए, याचिकाकर्ता टैरिफ विनियम के विनियम 11(8) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कपूरड़ी और जालिपा खानों से लिग्नाइट के अंतरण मूल्य के निर्धारण के लिए, वर्तमान याचिका दायर कर रहा है।

56. आगे, चूंकि हस्तांतरण मूल्य का अंतिम निर्धारण अभी तक बाकी है, पिछले वर्षों की तरह वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लिग्नाइट की अन्तरण कीमत के परिकलन करने के लिए याचिकाकर्ता ने कपूरडी के लिए एमडीओ लागत, सोनारी खानों से बहिर्वेशन दरों के आधार पर कपूरडी खान की विशिष्ट खान आकृति को उचित समायोजन के साथ जालिपा खानों के लिए भी मानी गयी है, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में इस माननीय आयोग द्वारा निर्देशित किया था ।

57. विशिष्ट पहलुओं पर याचिकाकर्ता की प्रस्तुति तथा प्रार्थना निम्नानुसार है :

<u>**क.**</u> <u>**निष्कर्षण की लागत**</u> :– याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि माननीय आयोग ने दिनांक 17.08.2011 के अपने आदेश द्वारा आरएसएमएमएल की अभी हाल में खोली गई खानों के निष्कर्षण लागत पर आधारित एक तदर्थ अन्तरिम अन्तरण कीमत पर विचार करना प्रस्तावित किया है। जैसा कि इसके ऊपर उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता ने तद्नुसार आरएसएमएमएल की अपनी सोनारी लिग्नाइट खानों के लिए निविदा के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी बहिर्वेशन की निम्नतर बोली पर आधारित, निरावृत अनुपात, खान की गहराई तथा कपूरडी खान के अन्य सुसंगत प्राचल, जिसके प्राचल सोनारी खान से भिन्न हैं, के उचित समायोजन के साथ कपूरडी खान से लिग्नाइट की निष्कर्षण लागत परिकलित की है। ऐसे बहिर्वेशन पर आधारित लिग्नाइट की निष्कर्षण लागत 30 वर्षों की संविदा अवधि (**1098.61 रू./मै. टन**) तथा 7 वर्षीय संविदावधि (**1198.93 रू./मै.टन**) दोनो के लिए परिकलित कर माननीय आयोग को 6 सितम्बर 2011 को प्रस्तुत की गई थी। इसे श्री एन.एस. बोहरा (पूर्व निदेशक खान एवं भू–गर्भ राजस्थान सरकार) द्वारा विधिवत् जांचों तथा मण्डल द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया गया था।

दिनांक 3 सितम्बर 2011 की श्री एन.एस. बोहरा की रिपोर्ट की प्रतिलिपि इसके साथ **अनुलग्नक–3** पर संलग्न है।

इस निष्कर्षण लागत को आगे वर्तमान उपलब्ध खान/उत्खनन/धातुकर्मीय मशीन/पुर्जे की ताजा थोक सूची, औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचंकाक और सितम्बर, 2023 में डीजल के मूल्य में आये बदलाव के आधार पर स्फीति हेतु बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार वित्त वर्ष 2024–25 के लिए निष्कर्षण लागत की परिणामतः गणना **रू. 1582.30/मैट्रिक** टन की गई, इसमें 30 वर्ष आधारित निष्कर्षण लागत **1098.61/मैट्रिक टन** को ध्यान में रखा गया था। (विवरण **अनुलग्नक–4** पर संलग्न है)।

वर्तमान याचिका के उद्देश्य से, जालिपा की निष्कर्षण लागत कपूरड़ी के समान ही विचार की गई है। दोनों खानों के लिए निष्कर्षण लागत एमडीओ शुल्क के अंतिम

रूप दिये जाने के बाद, समायोजन के अध्यधीन होगी जो कि माननीय आयोग के समक्ष अधिनिर्णय हेतु लंबित है।

ख. **<u>पूंजी लागत</u>** :– याचिकाकर्ता इसके साथ, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए अपने नवीनतम अंकेक्षित लेखे (अन्तिम वर्ष जिसके लिए अंकेक्षित लेखे उपलब्ध हैं) **अनुलग्नक 05** के रूप में, दायर कर रहा है।

कपूरड़ी लिग्नाइट खान पर प्राक्कलित पूंजीगत लागत **5350.50 मिलियन रू.** होना प्रत्याशित है, (विरण **अनुलग्नक –6** पर संलग्न है) जिसमें से सितम्बर 30, 2023 तक **4939.82 मिलियन रू.** का पूंजीगत खर्च किया जा चुका है, जिसका प्रमाणन वैधानिक अंकेक्षक, मैसर्स शम्भू गुप्ता एण्ड कम्पनी, चार्टेड एकाउनटेन्ट्स द्वारा किया गया है। (प्रमाण पत्र **अनुलग्नक 07** पर संलग्न है)

जालिपा लिग्नाइट खान पर प्राक्कलित पूंजीगत लागत **19380.45 मिलियन रू.** होना प्रत्याशित है, (विवरण ऊपर **अनुलग्नक 06** पर संलग्न है) जिसमें से सितम्बर 30, 2023 तक **18496.60 मिलियन रू.** का पूंजीगत खर्च किया जा चुका है, जिसका प्रमाणन वैधानिक अंकेक्षक, मैसर्स शम्भू गुप्ताएण्ड कम्पनी, चार्टेड एकाउनटेन्ट्स द्वारा किया गया है। (प्रमाण पत्र ऊपर **अनुलग्नक 07** पर संलग्न है)

वाणिज्यिक परिचालन तिथि (अर्थात् 10 अक्टूबर 2011) को कपूरड़ी खान पर पूंजीकृत लागत **3747.10 मिलियन रूपये** को, बाद में **1179.84 मिलियन रूपये** के पूंजीकरण के साथ कुल मिलाकर **4926.94 मिलियन रूपये** को वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लिग्नाइट की अन्तरण कीमत के परिकलन हेतु माना है।

वाणिज्यिक परिचालन तिथि को जालिपा खानों की पूंजीकृत लागत (अर्थात् 1 नवम्बर 2017 को) **16484.50 मिलियन रू.** बाद में **1473.59 मिलियन रू.** के पश्चात्वर्ती पूंजीकरण के साथ कुल मिलाकर **17958.09 मिलियन रू.** वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लिग्नाइट की अन्तरण कीमत के परिकलन हेतु मानी गयी है।

ग. **<u>उत्पादन</u>** :– याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि, जालिपा खान के विकास के पूर्ण नहीं होने तक, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार (जी.ओ.आई.) ने अपने पत्र दिनांक 29.01.2014 द्वारा कपूरड़ी खान से खनन क्षमता में 7.00 एम.टी.पी.ए. तक की वृद्धि का अनुमोदन कर दिया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 22.09.2014 के पत्र द्वारा वित्त वर्ष 2017–18 तक की 4 वर्ष की अस्थाई अवधि के लिए खनन क्षमता 7 मिलियन मै. टन प्रति वर्ष के लिए संशोधित पर्यावरण क्लीयरेंस अनुमोदित कर दी है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण एव वन मंत्रालय ने दिनांक 06.11.2019 के पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 तक की 7 वर्ष की अस्थायी अवधि के लिए 4.50 मिलियन मै. टन प्रतिवर्ष की संशोधित पर्यावरण क्लीयरेन्स अनुमोदित कर दी है। जलीपा खानों की वाणिज्यिक परिचालन तिथि प्राप्त कर लिये जाने पर 1 नवम्बर 2017 से तथा विद्युत संयन्त्र द्वारा

लिग्नाइट की प्रक्षेपित मांग के पश्चात् याचिकाकर्ता ने कपूरडी खान से 4.50 मिलियन टन प्रतिवर्ष तथा जलीपा खान से 2.60 मिलियन टन प्रतिवर्ष खनन, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए अन्तरण कीमत के परिकलन तथा स्थाई लागत की वसूली हेतु माना है। उच्चतर/निम्नतर उत्पादन के कारण स्थाई लागत की वसूली में किसी प्रकार की भिन्नता का ट्रयू–अप की प्रक्रिया में समायोजन कर लिया जायेगा।

घ **सीएसआर प्रभार** :– कपूरड़ी खानों के 3.75 और 7.00 मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक के लिए संशोधित पर्यावरणीय क्लीयरेन्स में, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सीएसआर प्रभार (जो अब कॉर्पोरेट पर्यावरणीय जिम्मेदारी (सीईआर) जानी जाती है) न्यूनतम 5 रूपए प्रति मैट्रिक टन वार्षिक मुदास्फीति के साथनिर्धारित की है। तद्नुसार, कपूरड़ी खानों के लिए वित्त वर्ष 2023–24 में अनुमानित सीएसआर/सीईआर प्रभार सितम्बर, 2023 के डब्ल्यूपीआई के आधार पर 29.94 मिलियन रूपये (4.50 मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक x 6.65 रू. प्रति टन) माना गया है। कपूरड़ी खानों के लिए यह 29.94 मिलियन सीएसआर/सीईआर प्रभार वित्त वर्ष 2024–25 के लिए अनुमानित किया गया एवं माना गया है। (वितरण **अनुलग्नक – 08** पर उपलब्ध है।)

जालिपा खानों के 6.00 मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक की पर्यावरणीय क्लीयरेन्स दिनांक 29.04.2010 में, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने न्यूनतम 3 करोड़ वार्षिक या लिग्नाइट के 5 रूपऐ प्रति टन (जो भी अधिक हो) आवर्ती व्यय सीएसआर व्यय (जो अब कॉर्पोरेट पर्यावरणीय जिम्मेदारी (सीईआर) जानी जाती है) के रूप में करने का प्रावधान किया था। तदानुसार सीएसआर/सीईआर प्रभार 30.00 मिलियन रूपए (30 मिलियन रूपये और 13.00 मिलियन रूपये (2.60 मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक x 5 रूपये) जो भी अधिक हो) वित्त वर्ष 2024–25 के लिए माना गया है।

ड. **खानबन्दी प्रभार** :– कपूरड़ी खान के लिए संशोधित खनन योजना 7.00 एम.टी.पी.ए. तथा मई 2013 की माइन क्लोजर प्लान संशोधन–1 में खान का जीवन काल 31 वर्ष माना है, तदानुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए संशोधित खान बन्द करने के प्रभार 2011–12 को प्रचालन का प्रथम वर्ष मानते हुये परिकलित किये गये हैं (वितरण **अनुलग्नक – 09** पर उपलब्ध है।)।

जालिपा खान के लिए, अप्रेल 2011 के माइन क्लोजर प्लान में खान की अवधि 55 वर्ष मानी है। तदानुसार जालिपा खान के लिए खान बन्दी प्रभार की गणना वित्त वर्ष 2024–25 हेतु, वित्त वर्ष 2016–17 को खान बन्दी प्रभार जमा कराने के उद्देश्य से पहला वर्ष मानते हुए की गई है, क्योंकि याचिकाकर्ता को खान खोलने की अनुमति वित्त वर्ष 2016–17 में ही प्राप्त हुई थी। (विवरण **अनुलग्नक 09** पर उपलब्ध है)।

च. **कर्ज : साम्यानुपात : :**– परियोजना लागत का किया जाने वाला निधियन 70 प्रतिशत, कर्ज से आवधिक ऋण रूपये के माध्यम से तथा शेष 30 प्रतिशत अधीनस्थ कर्ज तथा

साम्या के माध्यम से है। 200 मिलियन रू. की अभिदत्त साम्या का नियतन कपूरड़ी तथा जालिपा खानों के बीच उनकी क्रमशः 3.00 तथा 6.00 मिलियन टन प्रतिवर्ष की नामिक दीर्घकालीन खनन क्षमता के अनुपात में अर्थात् 66.67 मिलियन रूपये तथा 133.33 मिलियन रूपये का किया गया है।

छ. **साम्या पर प्रतिफल** :– टैरिफ विनियम, 2019 के विनियम 20(2) के अनुसार साम्या पर प्रतिफल (आर.ओ.ई.) 15.00 प्रतिशत की दर पर माना गया है।

आर.ई.आर.सी. टैरिफ विनियम, 2019 का विनियम 29 अन्य बातों के साथ उपबन्ध करता है कि माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित साम्या पर प्रतिफल के सदृश आय पर कर वसूल किया जायेगा। इसलिए याचिकाकर्ता, याचिकाकर्ता पर लागू कर की दर अर्थात् निगम कर दर जो वर्तमान में 25.1680 प्रतिशत है, के दावे का पात्र है। तद्नुसार, कर पश्चसाम्या पर प्रतिफल, साम्या पर प्रतिफल पर प्रयोज्य निगम कर दर पर आधारित जो 20.0449 प्रतिशत (अर्थात् 15.00 प्रतिशत – (1–25.1680 प्रतिशत) परिकलित होती है, मानी गयी है। (विस्तृतियां **अनुलग्नक** –10 पर संलग्न है)

ज. **सावधि ऋण पर ब्याज की दर** :– आरईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 का विनियम 21(5) अन्य बातों के साथ उपबन्ध करता है कि ब्याज की दर, प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में वास्तविक ऋण वर्ग के आधार पर परिकलित ब्याज की भारित औसत दर होगी। चूंकि याचिकाकर्ता वर्तमान अन्तरण कीमत याचिका वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये दायर कर रहा है और वित्तीय वर्ष 2023–24 अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए उधारदाताओं द्वारा उनके वित्त पोषण प्रलेख 1 अक्टूबर, 2023 तक के अनुसार प्रभारित की जा रही ब्याज की भारित औसत दर जो 10.16 प्रतिशत प्रति वर्ष परिकलित होती है (विवरण **अनुलग्नक – 11** पर उपलब्ध है) इस याचिका के लिए मानी गयी है। ब्याज की कथित भारित औसत दर का परिकलन 1 अक्टूबर 2023 को बकाया रहे वास्तविक ऋण वर्ग के आधार पर आरईआरसी टैरिफ विनियम 2019 के विनियम 21(5) के अनुसार किया गया है।

झ. **ब्याज प्रभार :** वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए ब्याज प्रभार, टैरिफ विनियम, 2019 के विनियम 21(3) में यथोपबन्धित ह्रास/परिशोधन के बराबर ऋण चुकौती मानते हुये, परिकलित किये गये हैं। (विस्तृतियां **अनुलग्नक**– 12 पर हैं।)

ञ. **ह्रास तथा परिशोधन** :– ह्रास का परिकलन आर.ई.आर.सी. टैरिफ विनियम, 2019 में निर्धारित की गयी दरों के अनुसार किया गया है। खनन भूमि पर सरफेस राइट एवं विकास व्यय के रूप में हुये खर्चों का परिशोधन खान की लीज अवधि के शेष जीवन काल के अनुसार विद्युत संयन्त्र को ईंधन आपूर्ति की समाप्ति तिथि को ध्यान में रखते हुये माने गये हैं। (विस्तृतियां **अनुलग्नक**–13 पर संलग्न है)

ट. **कार्यशील पूंजी के लिए ब्याज दर** :– वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज की दर आर.ई.आर.सी. टैरिफ विनियम, 2019 के विनियम 27(2) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 के पहली छमाही के दौरान प्रचलित एसबीआई की औसत आधार दर (अर्थात् समय– समय पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा यथाधोषित एक वर्षीय निधियों की उपान्तिक लागत–आधारित लेण्डिंग दर (एमसीएलआर)) में 300 आधार बिन्दु जोड़कर किया गया है, जो 11.52 प्रतिशत होती है। (विवरण **अनुलग्नक – 14** पर उपलब्ध है)।

ठ. **कार्यशील पूंजी की आवश्यकता** :– कार्यशील पूंजी आवश्यकता आर.ई.आर.सी. टैरिफ विनियम 2019 के अनुसार 1.5 महीनें की प्राप्यताओं तथा एक महीने के परिचालन एवं रख–रखाव प्रभारों के रूप में मानी गयी हैं। (विस्तृतियां **अनुलग्नक–** 15 पर संलग्न है)

ड़ **प्रशासनिक व्यय** :– प्रशासनिक व्यय मूलभूत लिग्नाइट निष्कर्षण लागत के 1 प्रतिशत के रूप में माने गऐ है।

ढः **खनन परिसम्पतियों का बीमा प्रभार** :– याचिकाकर्ता नें अपनी कपूरड़ी खनन परिसम्पतियों की सुरक्षा के लिए वित्त वर्ष 2023–24 में औद्योगिक समस्त क्षति बीमा, आंतकवाद पॉलिसी और अन्य विविध पॉलिसीज ली है। तद्नुसार याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 तक देय वास्तविक प्रीमियम के आधार पर 3.99 मिलियन रू. की बीमा लागत का दावा किया है। (विवरण **अनुलग्नक – 16** पर उपलब्ध है)।

इसके अलावा, कपूरड़ी एवं जालिपा खानों के बीच 3.99 मिलियन रू. के उपरोक्त बीमा शुल्क उनकी सामान्य दीर्घकालीन खनन क्षमता 3.0 और 6.0 मिलियन टन प्रति वर्ष अर्थात् रू. 1.33 मिलियन एवं रू. 2.67 मिलियन के अनुपात में क्रमशः आवंटित किए गए हैं।

ण. **आर.ओ. संयत्र प्रभार** :– मैदानी जल, खान क्षेत्र में उच्च लवणीय होता है, और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अपनी अनुमति में उपबन्ध किया है कि इस जल को उपयोग से पूर्व आर.ओ. संयत्र से प्रक्रियागत किया जाए। तद्नुसार याचिकाकर्ता ने कपूरड़ी खान पर 3 एम.एल.डी. का आर.ओ. संयत्र अधिव्यापित किया है, जिससे कि खनन परियोजना पर पर्यावरणीय निकासी की पालना हो सके।

उपरोक्तानुसार, याचिकाकर्ता ने वित्त वर्ष 2024–25 में कपूरड़ी खानों पर रू. 30.93 मिलियन रू. का आर.ओ. संयत्र संधारण प्रभार का प्रावधान किया है, जो कि मैसर्स त्रिवेणी इन्जीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड़ और याचिकाकर्ता के मध्य दिनांक 19.09.2013 को इस हेतु निष्पादित परिचालन एवं संधारण अनुबंध पर आधारित है। उक्त अनुबंध की प्रति, माननीय आयोग को याचिकाकर्ता द्वारा याचिका संख्या 608/16 एवं

609/16 में डेटागेप के जवाब के साथ दिनांक 13.12.2016 को प्रस्तुत कर दी गई है।

इस याचिका के लिए कपूरड़ी खान से आर.ओ. सयंत्र प्रभार की गणना का विवरण संलग्न पत्र में **अनुलग्नक – 17** पर उपलब्ध है।

जालिपा खान पर पर्यावरणीय एवं वन मंत्रालय द्वारा खनन परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी देते समय लगाई गई शर्त की अनुपालना में आर.ओ.सयंत्र की स्थापना की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान पूर्ण हो चुकी है।

उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता तथा मै. त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के बीच हुये अनुबन्ध दिनांक 30.07.2018 के आधार पर जालिपा खानों से वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए आरओ संयन्त्र संधारण प्रभार 100.45 मिलियन रू. माने हैं। (कृपया देखें उपरोक्त संलग्न **अनुलग्नक**– 17)

त. **भूमि कर :–** यह कि राजस्थान सरकार ने 27.03.2020 को राजस्थान वित्त अधिनियम, 2020 अधिसूचित किया है, जो कर योग्य भूमि के कुछ वर्गों पर भूमि कर लगाता है। 30.03.2020 को राजस्थान सरकार ने "10,000 वर्ग मीटर से अधिक अन्य प्रमुख खनिज भूमि को कर योग्य भूमि के एक वर्ग के रूप में अधिसूचित किया है, जिस पर 3 रू. प्रति वर्गमीटर की दर से कर लगाया जाना है।

इसके अलावा, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 30.03.2020 को अधिसूचना 10.02.2023 के माध्यम से दबाते हुए "10,000 वर्ग मीटर से अधिक अन्य प्रमुख खनिज भूमि" पर कर की दर को "रू. 3 प्रति वर्गमीटर से रू. 1.50 प्रति वर्गमीटर" कम कर दिया है।

इस प्रकार, उपरोक्त अधिसूचनाओं के मद्देनजर, कपूरड़ी के लिए 3,22,35,110 वर्ग मीटर एवं जालिपा के लिए 3,98,23,125 वर्ग मीटर भूमि 01.04.2020 से कर योग्य होगी। तद्नुसार, वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल राशि 04,83,52,665 रू. एवं 05,97,34688 रू. क्रमशः कपूरड़ी खानों एवं जालिपा खानों के लिए भूमि कर के रूप में मानी गई है।

इस प्रकार, उपरोक्त अधिसूचनाओं के मद्देनजर, याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2023–24 रू. 4,83,52,650 एवं 05,97,34,650 क्रमशः कपूरड़ी खानों एवं जालिपा खानों के लिए भूमि कर का भुगतान किया है। वर्तमान याचिका में याचिकार्ता ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए भुगतान किए गए वास्तविक भूमि कर के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए भी भूमि कर माना है (वित्त वर्ष 2023–24 के लिए भुगतान किए गए भूमि कर का विवरण चालान की प्रतियों सहित **अनुलग्नक–18** के रूप में संलग्न है)।

थ. **<u>लिग्नाइट का सकल उष्मीयमान (जीसीवी)</u>** :– याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग से कपूरड़ी खान के लिए 2693 किलोकैलोरी/किग्रा का जी.सी.वी. अनुज्ञात करने का निवेदन किया। माननीय आयोग ने तथापि, 30.09.2011 के आदेश द्वारा तत्कालीन अनुमोदित खनन योजना पर आधारित 2732 किलोकैलोरी/किग्रा का जी.सी.वी. अनुज्ञात किया। कोयला मन्त्रालय ने 7 एम.टी.पी.ए. के लिए हाल ही में अनुमोदित की गयी खान योजना में कपूरडी खान से लिग्नाइट के लिए जीसीवी 2692 किलो कैलोरी/किग्रा मानी और जालिपा खान के लिए जीसीवी 2777 किलो कैलोरी/किग्रा खनन परियोजना अनुमति दिनांक 02.04.2008 के द्वारा अनुमोदित की है।

खनन परियोजना के प्रस्तुति/अनुमति के पश्चात् एमईसीएल ने इन खानों में कुछ और अन्वेषण किये । तदानुसार याचिकाकर्ता के निर्देशक मण्डल ने यह कार्य आर.एस.एम.एम.एल. को सौंप दिया कि वह हाल ही में अन्वेषित डेटा के आधार पर दोनों खानों का वास्तविक जीसीवी पता करे। आर.एस.एम.एम.एल. ने अपने पत्र दिनांक 20.09.2010 (प्रति संलग्न **अनुलग्नक –19** के रूप में उपलब्ध है) द्वारा कपूरड़ी का वास्तविक औसत जीसीवी 2693 किलो कैलोरी/किग्रा और जालिपा का जीसीवी 2895 किलो कैलोरी/किग्रा माना है, जो दोनों खानों से हाल में अन्वेषित डेटा पर आधारित है।

आर.एस.एम.एम.एल. की उक्त रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता ने, याचिकाकर्ता और जेएसडब्ल्यूएनर्जी (बाड़मेर) लिमिटेड (पूर्व में राजवेस्ट पावर लिमिटेड) (उत्पादन कम्पनी) के मध्य हस्ताक्षरित ईधन आपूर्ति अनुबंध में उपयुक्त परिवर्तन किए।

इस प्रकार, उपरोक्तानुसार याचिका में ईधन आपूर्ति अनुबंध के अनुसार कपूरड़ी खान से लिग्नाइट के लिए जी.सी.वी. 2693 किलो कैलोरी/किग्रा और जालिपा खान से लिग्नाइट के लिए 2895 किलो कैलोरी/किग्रा जीसीवी,मानी गई है।

तदानुसार, वित्त वर्ष 2024–25 के लिए भारित औसत जी.सी.वी., 2766.97 किलो कैलोरी/किग्रा {(2693 x 4.50 + 2895 x 2.60)/7.10} निकाली गई है (कृपया देखें **अनुलग्नक–20** प्रतिमानक एवं पूर्वधारणा)।

यहाँ यह प्रस्तुत करना सारगर्भित होगा कि, याचिकाकर्ता द्वारा जेएसडब्ल्यूएनर्जी (बाड़मेर) लिमिटेड (पूर्व में राज वेस्टपॉवर लिमिटेड) (उत्पादन कम्पनी) के साथ ईधन आपूर्ति अनुबंध के अनुसार लिग्नाइट का मूल्य, लिग्नाइट की वास्तविक जीसीवी के अनुसार बदलेगा।

द. **<u>पुर्नवित्त के आधार पर ब्याज में बचत</u>** :–

विनियम 2014 का विनियम 21(7) उपाबन्धित करता है कि कम्पनी को वास्तविक ऋण को इसके ब्याज पर निवल बचत का परिणामी होने तक पुनर्वित्तीय के सभी प्रयास करने चाहिए और उस दशा में ऐसे पुनर्वित्तीयन से सम्बद्ध लागतें लाभार्थियों द्वारा वहन की जायेगी तथा ब्याज पर निवल बचत को लाभार्थियों एवं उत्पादन कम्पनी के बीच 2:1 के अनुपात में साझा की जायेगी।

तदानुसार, याचिकाकर्ता ने वित्त वर्ष 2017–18 के विद्यमान ऋणों के पुर्नवित्तीयन की प्रक्रिया शुरू की, जिससे कि अवधि ऋण पर ब्याज का भार कम हो सके। इस प्रक्रिया में याचिकाकर्ता अब तक 80.65 मिलियन रूपये पुनर्वित्तीयन की लागत के प्रति उपगत कर चुका है और विनियम के अनुसार यह लागत लाभार्थियों द्वारा वहन की जायेगी। याचिकाकर्ता के प्रयास के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2017–18 में रूपये 45.35 मिलियन और वित्त वर्ष 2018–19 में रूपये 77.95 मिलियन, वित्तीय वर्ष 2019–20 में 71.9652 मिलियन रू., वित्तीय वर्ष 2020–21 में 65.5994 मिलियन रूपये, वित्तीय वर्ष 2021–22 में 59.4239 मिलियन रूपये, वित्तीय वर्ष 2022–23 में 53.2484 मिलियन रूपये, वित्तीय वर्ष 2023–24 में 47.1955 मिलियन रूपये तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 में 40.8974 मिलियन रूपये निवल ब्याज की बचत होगी। याचिकाकर्ता एतद्द्वारा निवेदन करता है कि सम्बन्धित वर्षों का अंतरण मूल्य विनिर्धारण, जो अभी भी लम्बित है, करते समय ऊपर यथोल्लिखित पुनर्वित्तीयन की लागत तथा ब्याज बचत की हिस्सेदारी पर विचार किया जाये।

उक्त वर्तमान याचिका के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2024–25 में अनुमानतः **रूपये 40. 8974 मिलियन** का पुर्नवित्तीयन लाभ माना गया है। इसका विभाजन लाभार्थियों और याचिकाकर्ता के मध्य 2:1 के अनुपात में होगा।

आगे, याचिकाकर्ता ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए अपने पुर्नवित्तीयन के लाभ के हिस्से रूपये 13.6325 मिलियन को कपूरड़ी और जालिपा खानों के मध्य उनके सामान्य दीर्घ अवधि खनन क्षमता अनुपात 3.0 और 6.00 मिलियन टन वार्षिक के आधार पर, जो कि रूपये 4.5442 मिलियन और रूपये 9.0883 मिलियन क्रमशः है, में बाँटा गया है। ।

ध. **<u>मार्गस्थ हानि</u>** :– मार्गस्थ एवं संचालन हानि आरईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के अनुसार 0.15 प्रतिशत की दर पर मानी गई है।

न. **<u>वैधानिक उद्ग्राह्यताए, कर एवं शुल्क आदि</u>** :– यथा प्रचलित सभी कर, ड्यूटीज तथा वैधानिक उद्ग्राह्यताए आदि, मानी गई है।

58. **अन्तरण मूल्य** : अन्तरण मूल्य वित्त वर्ष 2024–25 के लिए उपरोक्तानुसार, कपूरड़ी खान हेतु रूपये 2686.39 / मैट्रिक टन 2693 किलो कैलोरी / किग्रा जी.सी.वी के लिए, जालिपा खान हेतु रूपये 3594.95 / मैट्रिक टन 2895 किलो कैलोरी / किग्रा जी.सी.वी

के लिए, और कपूरड़ी एवं जालिपा खानों हेतु रूपये 3019.10/मैट्रिक टन संयुक्त रूप से भारित औसत 2766.97 जीसीवी किलो कैलोरी/किग्रा के लिए माना गया है। (संदर्भित **अनुलग्नक – 21**)।

प्रार्थना

34. इसमें पूर्व वर्णित कारणों पर आधारित, याचिकाकर्ता माननीय आयोग से विनम्र निवेदन करता है कि :–

(क) जेएसडब्ल्यू एनर्जी (बाड़मेर) लिमिटेड (इससे पूर्व में : राज वेस्टपॉवर लिमिटेड़) के उत्पादन केन्द्र को आपूर्ति हेतु लिग्नाइट की अन्तरण कीमत कपूरड़ी खान हेतु **रूपये 2686.39/मैट्रिक टन** 2693 किलो कैलोरी/किग्रा जी.सी.वी के लिए, जालिपा हेतु **रूपये 3594.95/मैट्रिक टन** 2895 किलो कैलोरी/किग्रा जी.सी.वी के लिए और कपूरड़ी एवं जालिपा हेतु **रूपये 3019.10/मैट्रिक टन** संयुक्त रूप से भारित औसत 2766.97 जीसीवी किलो कैलोरी/किग्रा के लिए, वित्त वर्ष 2024–25 के लिए विनिर्धारित करे;

ख. वित्तीय वर्ष 2024–25 के हस्तान्तरण मूल्य निर्धारण के लंबित रहते हुए कपूरड़ी एवं जालिपा लिग्नाइट खानों से लिग्नाइट का तदर्थ हस्तान्तरण मूल्य रॉयल्टी, करों एवं शुल्कों से पहले,प्लस अनुमत वास्तविक कर पर याचिकाकृत मूल्य का 85% हो, जो कि माननीय एपटेल द्वारा अपील संख्या 137/2018 में पारित आदेश दिनांक 08.08.2018, 05.02.2020 एवं 07.10.2022 और जैसा कि प्रतिवादी डिस्कॉम्स द्वारा भुगतान किए जाने के लिये वचन दिया गया है के अनुसरण में हो, जो वित्त वर्ष 2024–25 के लिये भी लागू है , जब तक कि लिग्नाइट हस्तांतरण मूल्य का अंतिम निर्धारण ना हो जाये और वर्तमान याचिका का निपटारा इस माननीय आयोग द्वारा कर दिया जाये, याचिकाकर्ता द्वारा जेएसडब्ल्यूएनर्जी (बाड़मेर) लिमिटेड (पूर्व में राजवेस्ट पावर लिमिटेड) (उत्पादन कम्पनी) को लिग्नाइट की आपूर्ति जारी रखने के लिये प्रति समायोजन के अध्यधीन ; और/या

ग. न्याय के हित में माननीय आयोग द्वारा उचित माने जाने वाले ऐसे अन्य आदेश/निर्देश पारित करें।

स्थान – जयपुर
दिनांक –28.11.2023

कृते बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कम्पनी लिमिटेड
याचिकाकर्ता

टिप्पणी :– भाषान्तरण में मूल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।